संख्या-12/2021/247/सैंतीस-2-2021-1(44)/2017

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-02 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में कुल रू0-87.50 लाख की वित्तीय स्वीकृत शासनादेश संख्या-10/2021/70/सैंतीस-2-2021-1(44)/2017, दिनांक-25.01.2021 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में अंकित स्वीकृत धनराशि की मानक मदवार फांट में मानक मद "29-अनुरक्षण" के स्थान पर त्रुटिवश मानक मद "02-मजदूरी" अंकित हो गया है। अतएव शासनादेश दिनांक-25.01.2021 में स्वीकृत धनराशि की मानक मदवार फांट में अंकित मानक मद "02-मजदूरी" के स्थान पर मानक मद "29-अनुरक्षण" पढ़ा जाये।

2- शासनादेश दिनांक-25.01.2021 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-12/2021/247(1)/सैंतीस-2-2021- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।
4. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), महानगर, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in